न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 414/2013

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थीनी – 1.निर्मला पत्नि नेनूराम पुत्री बचीदेवी
जाति मेघवाल, निवासी आचार्यो का वास,बाड़मेर
तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.छगनीदेवी पत्नि कुष्टाराम पुत्री बच्चीदेवी,
जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का वास,ढाणी बाजार,बाड़मेर
2.सवाईराम 3.पूराराम पि.सोना 4.मंगला पुत्र रूखाराम
जाति मेघवाल, निवासी लखवारा, तहसील चौहटन
5.शांतिदेवी पत्नि नारणाराम, जाति मेघवाल, निवासी चौहटन
6.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थीनी :– **श्री पवन धारीवाल**

विप्रार्थीगण :– **श्री बाबूलाल विश्नोई (विप्रार्थी सं.1 से 4)**
श्री मोहनलाल खिलेरी (विप्रार्थी सं. 5)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 07.10.2022

प्रार्थीनी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा लखवारा, पटवार क्षेत्र आंटिया, तहसील चौहटन में खसरा सं. 24 रकबा 70.06 बीघा, खसरा सं. 37 रकबा 53.18 बीघा का आया हुआ है।

प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सं. 1 की माता बच्ची बेवा जीणा की पुत्रियां है। बच्ची के फौत होने पर उनके स्थान पर उनके कायम मुकाम प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सं. 1 का नामान्तरकरण सं. 277 भरा गया तथा प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सं. 1 का [illegible] रेकर्ड में अंकित किया गया जो आज दिन तक निरन्तर राजस्व रेकर्ड [illegible] घर पर प्यार से गवरी नाम से पुकारा जाता था, इसलिए [illegible] मौजीज लोगों ने प्रा[illegible] का नाम गवरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दर्ज करवा दिया जबकि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम निर्मला है तथा उसे इसी नाम से जाना जाता है।

प्रार्थीनी के मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक आदि में प्रार्थीनी का नाम निर्मला दर्ज है जबकि उक्त आराजी में प्रार्थीनी का नाम गवरी माता बच्ची दर्ज करवा दिया जो गलत दर्ज है। प्रार्थीनी का वास्तविक नाम निर्मला है। जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। इस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई तथा विप्रार्थी सं. 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल खिलेरी ने वकालतनामा पेश किया।

विप्रार्थीगण को जवाब के पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया, अतः विप्रार्थीगण के जवाब का अवसर बन्द किया गया। तहसीलदार चौहटन से नाम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया । तहसीलदार चौहटन से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीनी का नाम गवरी माता बच्ची के स्थान पर निर्मला पुत्री बच्ची दुरस्त करने की अनुशंषा की ।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी अधिवक्ता उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 1 से 4 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 5 की ओर से ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता श्री बलदेवसिह राठौड़ उपस्थित हुए।

उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। विप्रार्थी अधिवक्ता को नाम दुरस्त किये जाने से कोई आपति नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा लखवारा, पटवार क्षेत्र आंटिया, तहसील चौहटन में खसरा सं. 24 रकबा 70.06 बीघा, खसरा सं. 37 रकबा 53.18 बीघा में प्रार्थीनी का नाम गवरी माता बच्ची के स्थान पर निर्मला पुत्री बच्ची दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2022 को खुल इजलास में सुनाया गया । पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम - II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन